

द्वारा
द्वारा


द्वारा वा कार्यवाही एवं प्रविशियलस एवं

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी को
के कदम बाद को सुपुत्र
10.07.2018

पत्रावली आज सिंगे से पैश हुई।
वादीगण अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर
इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
89, 92क, 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे
कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन
रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट
प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत
घोषणा, दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा में
अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह
जाती है। अतः वादीगण का वादपत्र वादी
के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर
ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये
जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)